न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या /2019 दायरा दिनांक : 30.04.2019

उनवान

बापू आत्मज भंवरलाल जी, जाति गूर्जर, निवासी प्रहलादपुरा तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज0

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार हरनावदाशाहजी जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री उमाशंकर गोस्वामी
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 30–04–2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 29–05–2018 प्रकरण संख्या 162/2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उप तहसीलदार हरनावदा शाह जी के प्रकरण सं. 175/2017 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25–10–2017 से अपीलांट को ग्राम प्रहलादपुरा की आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 5.00 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 250/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–05–2018 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड. दिया गया है, अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है तथा अपीलांट वर्तमान में जेल में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल सहजनपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.04.2019 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार अपीलांट बापू आत्मज भंवरलाल जी, जाति गूर्जर, निवासी प्रहलादपुरा तहसील छीपाबडोद जिला बारां ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा कोई राशि बकाया नहीं है । अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है । अतः भुगती हुई सिविल कारावास की सजा को छोड कर शेष सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2018 अपास्त किया जाता है लेकिन शास्ति एवं बेदखली का आदेश यथावत रहेगा । भुगती हुई सिविल कारावास की सजा को छोड कर शेष सजा माफ की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा